प्रश्न सं. [क. 3504]

(1)

परिशिष्ट-1
पेज (1 से 38)

कार्यालय महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रकाश टॉवर के पास, नेहरू कॉलोनी, हरदा
(07577-299012, E-mail - hardagm@rediffmail.com)

क्रमांक 1278/तक/प्र.क्रि.इ./2024, हरदा, दिनांक 04/07/2024

प्रति

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
जिला हरदा (म.प्र.)

विषय :– विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रं.– 3504 द्वारा डॉ. रामकिशोर दोगने का उत्तर संक्षेपिका एवं पूरक जानकारी सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने बावत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 2666/तक/2024–25, हरदा, दिनांक 04.07.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से वांछित विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक–3504 द्वारा डॉ. रामकिशोर दोगने के प्रश्न का उत्तर संक्षेपिका एवं पूरक जानकारी सहित आपकी ओर प्रेषित है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

(डी के त्रिपाठी)
महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना कियान्वयन इकाई, हरदा

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

सदन में उत्तर देने का दि 19/07/2024 उत्तर भेजने का अन्तिम दि 11/07/24

विषय सड़क मार्ग निर्माण कार्यों की जानकारी

प्रश्न क्रमांक 3504) डा. रामकिशोर दोगने

क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(क) हरदा जिले अंतर्गत ग्राम नांदरा से ग्राम गोयत एवं ग्राम मोरगढ़ी–खिरकिया रोड से जटपुरा होते हुए अजरूदमाल सड़क मार्ग कब स्वीकृत किए गए है।

(ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सड़क मार्गो का कार्य क्यों व किसकी लापरवाही के कारण रुका हुआ है ?

(ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उक्त विकास कार्यो को रोकने के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी/ठेकेदार पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(घ) उक्त सड़क मार्गो का कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

उत्तर

(क) हरदा जिले अंतर्गत ग्राम नांदरा से ग्राम गोयत मार्ग की MPRCP योजनांतर्गत दिनांक 08.11.2021 को एवं ग्राम मोरगढ़ी–खिरकिया रोड से जटपुरा हेतु हुए अजरूद्धमाल मार्ग की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–3 अंतर्गत दिनांक 11.05.2021 को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई।

(ख) ग्राम नांदरा से ग्राम गोयत मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक 15.09.2023 को MPRCP योजनांतर्गत योजना समाप्ति के कारण रूका हुआ है तथा ग्राम मोरगढ़ी–खिरकिया रोड से जटपुरा होते हुए अजरूद्धमाल मार्ग का कार्य संविदाकार द्वारा धीमी कार्य प्रगति के कारण रूका हुआ था।

(ग) ग्राम नांदरा से ग्राम गोयत का कार्य धीमी गति से करने के कारण संविदाकार को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए गए। दिनांक 15.09.2023 को MPRCP योजना समाप्त होने के कारण निर्माण कार्य रूका हुआ है तथा ग्राम मोरगढ़ी–खिरकिया रोड से जटपुरा होते हुए अजरूद्धमाल मार्ग के कार्य धीमी गति से करने के कारण संविदाकार को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर पत्र क्रमांक 702 दिनांक 01.05.2023 के द्वारा अनुबंध निरस्त किया गया। संविदाकार द्वारा अनुबंध की धारा 24 के अंतर्गत अनुबंध पुनर्जीवित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 1970 दिनांक 04.08.2023 द्वारा अनुबंध को पुनर्जीवित किया गया। अनुबंध को पुनर्जीवित करने के उपरांत वांछित प्रगति प्राप्त नहीं होने पर पुनः कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये व पत्र क्रमांक 1108 दिनांक 24.06.2024 द्वारा अनुबंध निरस्त किया गया है।

(घ) ग्राम नांदरा से गोयत मार्ग का निर्माण, कार्य मद में राशि प्राप्त होने के उपरांत मार्च 2025 के पूर्व कार्य पूर्ण कराये जाने की योजना है तथा ग्राम मोरगढ़ी–खिरकिया रोड़ से जटपुरा होते हुए अजरूद्धमाल के शेष कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार करने के उपरांत निविदा हेतु प्रेषित किया जा रहा है। निविदा स्वीकृति उपरांत शेष कार्य करवाया जावेगा।

(डी.के. त्रिपाठी)
महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना कियान्वयन इकाई, हरदा

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र.— 3504 द्वारा डॉ. रामकिशोर दोगने
की पूरक जानकारी (3)

ग्राम नादरा से ग्राम मोग्रत :—

उक्त मार्ग हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृति अनुसार ग्रेवल स्तर तक निर्मित मार्ग पर MPRCP योजनान्तर्गत दिनांक 08.11.2021 को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई, तथा दिनांक 12.07.2022 को कार्यादेश जारी किया गया।

उक्त मार्ग का कार्य धीमी गति से करने के कारण संविदाकार को इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 2444 दिनांक 23.12.2022, पत्र क्रमांक 306 दिनांक 27.02.2023, पत्र क्रमांक 1564 दिनांक 01.09.2023 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए। दिनांक 15.09.2023 को MPRCP योजना अवधि समाप्त होने के कारण निर्माण कार्य रूका हुआ है।

उक्त मार्ग का निर्माण, कार्य मद में राशि प्राप्त होने के उपरांत मार्च 2025 के पूर्व कार्य पूर्ण कराये जाने की योजना है।

ग्राम मोरगढ़ी—खिरकिया रोड से जटपुरा हेतु हुए अजरूद्धमाल :—

उक्त मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—3 अंतर्गत दिनांक 11.05.2021 को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई तथा दिनांक 18.02.2022 को कार्यादेश जारी किया गया।

उक्त मार्ग का कार्य धीमी गति से करने के कारण संविदाकार को इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 2448 दिनांक 23.12.2022, पत्र क्रमांक 493 दिनांक 31.03.2023 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये तथा पत्र क्रमांक 702 दिनांक 01.05.2023 के द्वारा अनुबंध निरस्त किया गया।

संविदाकार द्वारा अनुबंध की धारा 24 के अंतर्गत अनुबंध पुनर्जीवित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 1970 दिनांक 04.08.2023 द्वारा अनुबंध को पुनर्जीवित किया गया।

अनुबध को पुनर्जीवित करने के उपरांत वांछित प्रगति प्राप्त नही होने पर पुनः कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये एवं पत्र क्रमांक 1108 दिनांक 14.06.2024 को अनुबंध निरस्त किया गया है।

मार्ग के शेष कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार करने के उपरांत निविदा हेतु प्रेषित किया जा रहा है। निविदा स्वीकृति उपरांत शेष निर्माण कार्य करवाया जावेगा।

(डी.के. त्रिपाठी)
महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना कियान्वयन इकाई, हरदा

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल